



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258360
CG-DL-E-30102024-258360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4376]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946

No. 4376]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4753(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 79+000 से कि.मी.92+250 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यूरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 79+000 से कि.मी.92+250 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: रायपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आरंग					
गांव का नाम: चरौदा					
1	1122	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
2	1183	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
3	1269	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
4	711	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
5	787	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: भिलाई					
6	2184	निजी	धनहा सिंचित	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
7	2185/2	निजी	धनहा सिंचित	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
8	2185/4	निजी	धनहा सिंचित	0.0388 (हेक्टेयर)	0.0388
9	2256	निजी	धनहा सिंचित	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
10	2321	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0089 (हेक्टेयर)	0.0089

11	2369/1	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	2370/1	निजी	धनहा सिंचित	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135
गांव का नाम: लिंगाडीह					
13	47/1	निजी	दो फसली	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
14	47/3	निजी	दो फसली	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
15	48/1	निजी	दो फसली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
16	50/1	निजी	दो फसली	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
17	50/3	निजी	दो फसली	0.104 (हेक्टेयर)	0.104
18	51/1	निजी	दो फसली	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
19	52/1-2	निजी	दो फसली	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
20	53/1	निजी	दो फसली	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
कुल योग					0.6235

[फा. सं. 597/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

S.O. 4753(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 79+000 to Km. 92+250 (Office of Sub Divisional Officer (Revenue), Arang) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue), Arang in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 79+000 to Km. 92+250 (Office of Sub Divisional Officer (Revenue), Arang) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: RAIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Arang					
Village: CHARODHA					
1	1122	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.018 (Hectare)	0.018
2	1183	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.005 (Hectare)	0.005
3	1269	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.027 (Hectare)	0.027
4	711	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.006 (Hectare)	0.006
5	787	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.002 (Hectare)	0.002
Village: BHILAI					
6	2184	Private	Dhanha Irrigated	0.0012 (Hectare)	0.0012
7	2185/2	Private	Dhanha Irrigated	0.0205 (Hectare)	0.0205
8	2185/4	Private	Dhanha Irrigated	0.0388 (Hectare)	0.0388
9	2256	Private	Dhanha Irrigated	0.0066 (Hectare)	0.0066
10	2321	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0089 (Hectare)	0.0089
11	2369/1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.03 (Hectare)	0.03
12	2370/1	Private	Dhanha Irrigated	0.0135 (Hectare)	0.0135
Village: LINGADIH					
13	47/1	Private	Double Crop	0.008 (Hectare)	0.008
14	47/3	Private	Double Crop	0.008 (Hectare)	0.008

15	48/1	Private	Double Crop	0.02 (Hectare)	0.02
16	50/1	Private	Double Crop	0.105 (Hectare)	0.105
17	50/3	Private	Double Crop	0.104 (Hectare)	0.104
18	51/1	Private	Double Crop	0.04 (Hectare)	0.04
19	52/1-2	Private	Double Crop	0.011 (Hectare)	0.011
20	53/1	Private	Double Crop	0.15 (Hectare)	0.15
Total					0.6235

[F. No. 597/3A]
ABHAY JAIN, Director